


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में “नर्सिंग परिचारक” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में “नर्सिंग परिचारक” के पद
के लिए भर्ती नियम गांतग्न हैं।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।


(निर्मल कुमार भगत)
निदेशक (अस्पताल)
दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

, 2019

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला परिचर/पैकर/उपचर्या परिचर, आया, स्ट्रेचर वाहक और पशु परिचारक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सिंग परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, नर्सिंग परिचारक, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	बेतन मैट्रिक्स में स्तर या बेतनमान (4)	चयन या अन्वयन पद (5)	अनुसूची	
					सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	
परिचारक नर्सिंग	483* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, नर्सिंग परिचारक- 276 आया- 134 पैकर- 2	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णियक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, असमाजल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, चिप्रा, निक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांचि उपखंड, अङ्गमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिकितियों की प्रतिशतता	(7)	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई है।
		(8)	(9)	(10)		
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मंस्थान में प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र, और (iii) 50 विस्तरों वाले अस्पतालों में अस्पताल कार्य का एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।			
टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राप्तिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखवद करते हुए अहताएं शिथिल की जा सकती है।						

टिप्पणी-2: अनुभव संबंधी अहंताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अस्थर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अस्थर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p> <p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p>(13)</p>
<p>लागू नहीं होता।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशाक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशाक प्रशासन - सदस्य। 	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> लागू नहीं होता। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[प. 11018/50/2019-एमएन II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार